



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-699

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 323849 दिनांक 07/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Santosh Kumari S/o Ramprasad Jatav	श्री जगदीष प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री किषन चन्द गुप्ता	120	90.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block-C	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री राम प्रसाद जाटव द्वारा जविप्रा की योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या सी-120 क्षेत्रफल 90 व.मी. के लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या सी-120 क्षेत्रफल 90 व.मी. की लीजडीड दिनांक 09.03.2005 को श्री जगदीष प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री किषन चन्द गुप्ता के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या सी-120 क्षेत्रफल 90 व.मी. को श्री जगदीष प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री किषन चन्द गुप्ता



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
01.05.2014 को
श्री मुकेश चन्द
गुप्ता पुत्र स्व. श्री
सूरजमल गुप्ता
को बेचान किया
गया। तत्पश्चात
उक्त भूखण्ड
संख्या सी-120
क्षेत्रफल 90 व.मी.
को श्री मुकेश चन्द
गुप्ता पुत्र स्व. श्री
सूरजमल गुप्ता
द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
29.05.2019 को
श्रीमती संतोष
कुमारी पत्नी श्री
राम प्रसाद जाटव
को बेचान किया
गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Santosh Kumari S/o Ramprasad Jatav को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004